प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: SPMU/NUHM/15th FC/2023-24/82/ 7164 दिनांक: 13.12.2023

विषय: 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान में नगरीय क्षेत्रों हेतु स्वीकृत अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के क्रियाशीलता से सम्बंधित गतिविधियों हेतु दिशा–निर्देश।

महोदया / महोदय,

अवगत कराना है कि नगरीय क्षेत्र में लोगों को उनके घर के समीप प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के दृष्टि से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में 15000 से 20000 की जनसंख्या को अच्छादित करने हेतु अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर (यू0–एच0डब्लू0सी0) स्थापित किये जा रहे हैं। यू0–एच0डब्लू0सी0 से सम्बन्धित गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित पत्रों के माध्यम से 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में कुल 1013 अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का आवंटन किया गया था, पूर्व में आवंटित अरबन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर को निरस्त कर पुनर्निर्धारित करते हुये निम्नानुसार नवीन आवंटन किया गया है –

S. No	District	No of U-HWCs
1	Agra	60
2	Aligarh	36
3	Ambedkar Nagar	2
4	Amethi	2
5	Amroha	2
6	Auraiya	4
7	Ayodhya	11
8	Azamgarh	2
9	Baghpat	2
10	Bahraich	5
11	Ballia	2
12	Balrampur	4
13	Banda	2
14	Barabanki	2
15	Bareilly	36
16	Basti	4
17	Bijnor	4
18	Budaun	4
19	Bulandshahr	4
20	Chandauli	4
21	Chitrkoot	4
22	Deoria	7
23	Etah	4
24	Etawah	12
25	Farrukhabad	12
26	Fatehpur	6
27	Firozabad	12
28	GB Nagar	24
29	Ghaziabad	84
30	Ghazipur	4
31	Gonda	2
32	Gorakhpur	48

S.No	District	No of U-HWCs
39	Jhansi	24
40	Kannauj	2
41	Kanpur Dehat	2
42	Kanpur Nagar	96
43	Kasganj	3
44	Kaushambi	3
45	Kheri	4
46	Kushinagar	8
47	Lalitpur	1
48	Lucknow	108
49	Maharajganj	3
50	Mahoba	3
51	Mainpuri	3
52	Mathura	12
53	Mau	2
54	Meerut	48
55	Mirzapur	12
56	Moradabad	48
57	Muzaffarnagar	3
58	Pilibhit	3
59	Pratapgarh	3
60	Prayagraj	48
61	Rae Bareli	2
62	Rampur	12
63	Saharanpur	35
64	Sambhal	4
65	Sant Kabir Nagar	2
66	Sant Ravidas Nagar	3
67	Shahjahanpur	12
68	Shamli	2
69	Shrawasti	1
70	Sidhharth Nagar	8

S. No	District	No of U-HWCs
33	Hamirpur	3
34	Hapur	2
35	Hardoi	4
36	Hathras	4
37	Jalaun	4
38	Jaunpur	5

S.No	District	No of U-HWCs
71	Sitapur	2
72	Sonbhadra	6
73	Sultanpur	2
74	Unnao	2
75	Varanasi	48
Total		**1013**

अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर (यू0–एच0डब्लू0सी0) के संचालनार्थ दिशा–निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं।

उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न दिशा–निर्देशों का पालन करते हुये नगरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरों को क्रियाशील/संचालित कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीया,

(डॉ0 पिंकी जोवल)
मिशन निदेशक

पत्रांकः SPMU/NUHM/15th FC/2023-24/82/ **तददिनांक**

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, पी0एच0सी0, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी एन.यू.एच.एम/ए.सी.एम.ओ., आर.सी.एच, उत्तर प्रदेश।
8. महाप्रबंधक, एम0आई0एस0, एन.एच.एम. को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त दिशा–निर्देशों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेब साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
9. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/मण्डलीय अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट, उ0प्र0।
10. समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक/जनपदीय शहरी स्वास्थ्य समन्वयक, उ0प्र0।

(डा0 सलिल कुमार श्रीवास्तव)
महाप्रबन्धक, एन.यू.एच.एम.

15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु दिशा–निर्देश।

प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में आच्छादित जनसंख्या को उनके घर के समीप प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के दृष्टिगत 15,000 से 20,000 की जनसंख्या पर अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर (यू.–एच.डब्लू.सी.) स्थापित किये जा रहे हैं। उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या SPMU/NUHM/15thFC/2022-23/82/4574 दिनांक 26.09.2022 (संलग्नक–1), SPMU/NUHM/ 15thFC/2022-23/82/6073-5 दिनांक 21.11.2022 (संलग्नक–2), SPMU/NUHM/ 15thFC /2023-24/82/1414-75 दिनांक 19.05.2023 (संलग्नक–3), SPMU/NUHM/15thFC/2023-24/82/2944 दिनांक 11.07.2023 (संलग्नक–4) एवं SPMU/NUHM/15thFC/2023-24/82/2945 दिनांक 11.07.2023 (संलग्नक–5) के माध्यम से जनपदों को अर्बन हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर का आवंटन कर निर्देश प्रेषित किये गये थे। इस प्रकार उक्त पत्रों के माध्यम से 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में कुल 1013 अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का आवंटन किया जा चुका है, जो निम्नवत है–

15 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में आवंटित कुल 1013 अर्बन यू0एच0डब्लू0सी0

S. No	District	No of U-HWCs
1	Agra	60
2	Aligarh	36
3	Ambedkar Nagar	2
4	Amethi	2
5	Amroha	2
6	Auraiya	4
7	Ayodhya	11
8	Azamgarh	2
9	Baghpat	2
10	Bahraich	5
11	Ballia	2
12	Balrampur	4
13	Banda	2
14	Barabanki	2
15	Bareilly	36
16	Basti	4
17	Bijnor	4
18	Budaun	4
19	Bulandshahr	4
20	Chandauli	4
21	Chitrkoot	4
22	Deoria	7
23	Etah	4
24	Etawah	12
25	Farrukhabad	12
26	Fatehpur	6
27	Firozabad	12
28	GB Nagar	24
29	Ghaziabad	84
30	Ghazipur	4
31	Gonda	2
32	Gorakhpur	48
33	Hamirpur	3
34	Hapur	2
35	Hardoi	4
36	Hathras	4
37	Jalaun	4
38	Jaunpur	5

S.No	District	No of U-HWCs
39	Jhansi	24
40	Kannauj	2
41	Kanpur Dehat	2
42	Kanpur Nagar	96
43	Kasganj	3
44	Kaushambi	3
45	Kheri	4
46	Kushinagar	8
47	Lalitpur	1
48	Lucknow	108
49	Maharajganj	3
50	Mahoba	3
51	Mainpuri	3
52	Mathura	12
53	Mau	2
54	Meerut	48
55	Mirzapur	12
56	Moradabad	48
57	Muzaffarnagar	3
58	Pilibhit	3
59	Pratapgarh	3
60	Prayagraj	48
61	Rae Bareli	2
62	Rampur	12
63	Saharanpur	35
64	Sambhal	4
65	Sant Kabir Nagar	2
66	Sant Ravidas Nagar	3
67	Shahjahanpur	12
68	Shamli	2
69	Shrawasti	1
70	Sidhharth Nagar	8
71	Sitapur	2
72	Sonbhadra	6
73	Sultanpur	2
74	Unnao	2
75	Varanasi	48
	Total	**1013**

1. भवन का चिन्हीकरण

भवन चिन्हित करते समय यह ध्यान दिया जाय कि अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर द्वारा अच्छादित जनसंख्या (लगभग 15,000 से 20,000) के मध्य में स्थित हो एवं मलिन बस्तियों में या उनके समीप हो जिससे आस–पास में रहने वाली गरीब जनता को उसके घर के समीप स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध हो सके।

राज्य स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रम में अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु ऐसे भवन का चयन किया जाये जिसमें कम से कम 04 कमरे हो एवं जिनका न्यूनतम क्षेत्रफल निम्न तालिकानुसार हो –

क्रमांक	सुविधा	आवश्यक न्यूनतम कारपेट एरिया (स्क्वायर फिट में)
1	ओ0पी0डी0 रुम	100
2	औषधि भण्डार एवं वितरण	80
3	टीकाकरण / काउन्सिलिंग रुम	80
4	स्टाफ नर्स कक्ष एवं परीक्षण कक्ष	100
5	वेटिंग रुम व पंजीकरण	210
6	शौचालय 02 नग	60
7	वेलनेस कक्ष	250
8	डे केयर रुम	220
योग		**1100 वर्ग फुट**

कारपेट एरिया का न्यूनतम 25 से 30 प्रतिशत अंश दीवार एवं सरकुलेशन का होता है। इस प्रकार भवन का कुल क्षेत्रफल लगभग 1400 वर्ग फुट आयेगा।

भवन चिन्हीकरण के समय ध्यान रखने वाली बातें–

- ✓ भवन हवादार एवं सूर्य प्रकाशमय हो।
- ✓ भवन में विद्युत कनेक्शन हो तथा बिजली एवं पानी की नियमित आपूर्ति हो।
- ✓ भवन में मरीजों के बैठने हेतु स्थान एवं कक्ष के अतिरिक्त 02 शौचालय हो।
- ✓ मरीजों हेतु एम्बूलेन्स आदि वाहनों के आने–जाने का पर्याप्त रास्ता हो।
- ✓ आवश्यकतानुसार रैम्प की व्यवस्था हो।

प्रत्येक अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के भवन के किराये हेतु अधिकतम सीमा रू0 50,000/– प्रति माह प्रति भवन की दर से (Rent @Rs. 50,000.00 pm) धनराशि आवंटित की गयी है। भवन का किराया, उस क्षेत्र के डी0एम0 सर्किल रेट या रू0 50,000/– जो कम हो, जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन उपरान्त देय होगी। किराया अनुबन्ध प्रपत्र पत्र संख्या SPMU/NUHM/15thFC/2022-23/82/4574 दिनांक 26.09.2022 (संलग्नक–1) के साथ संलग्न है।

2. इकाई से सम्बन्धित अन्य बिन्दु –

i. प्रत्येक इकाई पर लाभार्थियों के बैठने, पीने के पानी, साफ शौचालय एवं जरुरी संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

ii. प्रत्येक इकाई पर Fire Extinguisher (Type- ABC) लगा होना चाहिये एवं Fire Extinguisher की refilling भी नियमित रुप से करायी जाय एवं तैनात कर्मियों का प्रशिक्षण भी कराया जाय।

iii. प्रत्येक इकाई पर शिकायत पेटिका उचित स्थान पर लगी हो तथा नियमानुसार प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही की जाय।

iv. प्रत्येक इकाई का Pollution control board से registration कराया जाना है।

v. प्रत्येक इकाई पर Hospital Waste Management हेतु व्यवस्था की जानी है।

vi. प्रत्येक इकाई पर समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित पोस्टर को प्रदर्शित किया जाय।

vii. प्रत्येक अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत जनपदीय स्थानीय निकाय के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये पोस्टर को प्रदर्शित किया जाना है, जिससे जनमानस में स्वच्छता के प्रति जागरुकता लायी जा सके।

viii. योगा हेतु लोगों की संख्या अधिक होने पर योगा किसी खुले स्थान या पास के पार्क में भी कराया जा सकता है।

3. **अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवायें–**

- इन केन्द्रों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही समस्त सेवायें निःशुल्क प्रदान की जायेगी।
- ओ0पी0डी0 सेवायें– ग्रीष्मकाल (माह अप्रैल से माह सितम्बर) में प्रतिदिन प्रातः 08.00 बजे से सायं 04.00 बजे एवं शीतकाल (माह अक्तूबर से माह मार्च) प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक ओ0पी0डी0 सेवायें प्रदान की जानी है।

अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर में निम्न 12 सेवाएं प्रदान की जानी हैं –

i. **गर्भावस्था एवं प्रसव सम्बन्धी सेवाएं–** Health & Wellness Centre क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली समस्त गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्व देखभाल जैसे– शीघ्र पंजीकरण, एम0सी0पी0 कार्ड उपलब्ध कराया जाना, वजन, रक्तचाप, हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, एच0आई0वी0, सिफलिस, पेशाब की जाँच, ब्लड शुगर, पेट की जाँच, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान एवं संदर्भन आदि की सेवाएं प्रदान की जानी है। इसके अतिरिक्त टी0टी0, आयरन एवं कैल्शियम सप्लीमेंटेशन उपलब्ध कराया जाना है।

ii. **01 वर्ष तक के शिशुओं से सम्बन्धित सेवाएं–** शिशुओं को पूर्ण टीकाकरण, डायरिया एवं निमोनिया की पहचान, प्राथमिक उपचार एवं संदर्भन, विटामिन–ए सप्लीमेंटेशन आदि सुनिश्चित कराया जाना है। इसके अतिरिक्त नवजात एवं शिशुओं का वजन, कुपोषण का चिन्हिकरण एवं संदर्भन किया जायेगा।

iii. **बाल्यकाल एवं किशोरावस्था सम्बन्धी स्वास्थ्य देखभाल–** 01 से 5 वर्ष के सभी बच्चों का पूर्ण टीकाकरण, डायरिया एवं निमोनिया से बचाव–उपचार एवं संदर्भन, बच्चो के विकास सम्बन्धी समस्याओं का चिन्हीकरण व संदर्भन एवं बच्चों की सामान्य बीमारियो की पहचान, प्राथमिक उपचार एवं संदर्भन किया जाएगा।

किशोरावस्था स्वास्थ्य सम्बन्धी सलाह, मादक द्रव्यों के सेवन से बचाव सम्बन्धी सलाह तथा किशोरियों को आयरन की गोलियाँ एवं मासिक धर्म सम्बन्धी सलाह एवं संदर्भन किया जाएगा।

iv. **परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक साधन एवं अन्य प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवायें–** Health & Wellness Centre पर आने वाले समस्त लक्षित दम्पत्तियों को परिवार नियोजन सम्बन्धी परामर्श प्रदान किया जायेगा। परिवार नियोजन के साधन जैसे कण्डोम, ओरल पिल्स, इमरजेन्सी पिल्स, छाया एवं अन्तरा की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना एवं आई0यू0सी0डी0 लगाने की नियमित सुविधा दी जायेगी। इसके अतिरिक्त नसबन्दी एवं आई0यू0सी0डी0 के लाभार्थियों के फॉलो–अप की भी सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। गर्भपात के सम्बन्ध में आवश्यक सलाह, फालो–अप एवं संदर्भन की सुविधा प्रदान की जायेगी। आर0टी0आई0/एस0टी0आई0 एवं अन्य स्त्री रोग सम्बन्धी जाँच एवं संदर्भन किया जाएगा।

v. **सामान्य संचारी रोगों का प्रबन्धन एवं सामान्य बीमारियों हेतु बाह्य रोगियों का इलाज–** संचारी रोग जैसे डायरिया, डीसेन्टरी, टायफाईड, हैपेटाईटिस, रैबीज, कृमि रोग की पहचान एवं प्रबन्धन। सामान्य बीमारियां जैसे– बुखार, पेट दर्द, दस्त, त्वचा सम्बन्धी बीमारियों का प्राथमिक उपचार एवं आवश्यकतानुसार संदर्भन किया जाएगा।

vi. **राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत संचारी रोगों का प्रबन्धन–** क्षय रोग की पहचान, संदर्भन तथा उपचार एवं default retrieval सम्बन्धी सेवायें प्रदान की जाएंगी। मलेरिया, फाइलेरिया, जे0ई0, डेंगू, कालाजार, एच0आई0वी0 एवं अन्य संचारी रोगों की जाँच, प्राथमिक उपचार एवं सदर्भन करना तथा दीर्घकालिक बीमारियों जैसे क्षय रोग एवं कुष्ठ रोग के रोगियों को समय से दवाईयां उपलब्ध कराया जाएगा।

vii. **गैर संचारी रोगों की जाँच, बचाव, रोकथाम एवं प्रबन्धन–** 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के समस्त पुरूष एवं महिलाओं की प्रमुख गैर संचारी रोग जैसे– डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, तीन प्रकार के कैंसर (ओरल,

सर्वाइकल एवं ब्रेस्ट) की प्रारम्भिक जाँच, उपचार एवं संदर्भन किया जाएगा। गैर संचारी रोग से ग्रसित रोगियों का फॉलो-अप, default retrieval एवं संदर्भन किया जायेगा।

शहरी हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर से सम्बन्धित आशाओं एवं ए0एन0एम0 के माध्यम से 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के समस्त लोगों के सी-बैक फार्म भरे जायेगें एवं केन्द्र पर उनकी स्क्रीनिंग की जायेगी। स्क्रीनिंग के पश्चात् चिन्हित रोगियों को आवश्यक औषधियां प्रदान की जायेगीं तथा आवश्यकता अनुसार सन्दर्भित किया जायेगा।

viii. **<u>मुख स्वास्थ्य (Oral health) सम्बन्धी प्राथमिक सेवाएं</u>**- इसके अन्तर्गत जनसमुदाय को मुख स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, मुख एवं दन्त रोगों की पहचान जैसे- डेन्टल कैरीज, फ्लोरोसिस, पायरिया, क्लेफ्ट लिप एवं पैलेट, आड़े टेढ़े दाँत, ओरल कैंसर के लक्षणों की पहचान एवं प्रारम्भिक जाँच, मुहँ के छाले, मसूढ़ों में खून, दाँत में दर्द, मुख एवं दाँत के ट्रामा का प्राथमिक उपचार एवं सन्दर्भन किया जाना है। जन समुदाय को तंबाकू, सुपारी, धूम्रपान इत्यादि के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना एवं नशीले पदार्थों को त्यागने हेतु काउन्सलिंग करना, मुख स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, ब्रशिंग की विधि, उचित खान-पान, दाँतों एवं मसूढ़ों के रख-रखाव सम्बन्धित उपायों के बारे में जागरूक किया जाना है।

ix. **<u>नेत्र, नाक, कान एवं गला सम्बन्धी प्राथमिक सेवाएं</u>**- इसके अन्तर्गत अन्धता के कारक एवं दृष्टि दोष की प्राथमिक स्क्रीनिंग, आँखों सम्बन्धी सामान्य समस्याएं जैसे- कन्जेक्टिवाइटिस, आँखों का लाल होना, आँखों में सूखापन, सामान्य सर्दी जुकाम, कान बहना, फैरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, साइनोसाइटिस, नाक से खून आना इत्यादि की पहचान एवं प्राथमिक उपचार तथा उचित स्तर पर सन्दर्भित किया जाना है।

x. **<u>मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी प्राथमिक सेवाएं</u>**- मानसिक रोग हेतु निर्धारित प्रपत्र का उपयोग कर जनसमुदाय में स्क्रीनिंग करना, मानसिक रोग जैसे- अवसाद, मंदबुद्धि, नशे की लत, मिर्गी, साइकोसिस, डिमेंशिया इत्यादि पर जागरूकता प्रदान करना। मानसिक रोगों की पहचान कर उचित सन्दर्भन करना। नशे की लत के शिकार व्यक्तियों को डीएडिक्शन केन्द्र पर सन्दर्भित करना, मानसिक रोगियों की काउन्सलिंग एवं फॉलोअप के द्वारा देखभाल करना प्रमुख कार्य हैं।

xi. **<u>आकस्मिक दुर्घटना, बर्न एवं ट्रामा से सम्बन्धित सेवाएं</u>**- इसके अन्तर्गत अपने क्षेत्र में घटित दुर्घटना की स्थिति में छोटी-मोटी चोट, फ्रैक्चर, जानवर के काटने, जहरीले पदार्थों का सेवन इत्यादि का प्राथमिक उपचार एवं सन्दर्भन किया जाना अपेक्षित है। दैवीय आपदा की स्थिति में आपातकालीन सेवा एवं सन्दर्भन का प्रबन्धन, जलने, कटने, पानी में डूबने, कार्डियक एवं रेस्पिरेटरी इमर्जेन्सी, एक्यूट इंफेक्शन का प्रारम्भिक उपचार एवं सन्दर्भन के साथ ही ऐसे व्यक्तियों की पहचान जिनमें किसी प्रकार की गांठ, हेमोरॉयड, हर्निया इत्यादि की समस्या है एवं शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है, की पहचान कर उचित स्तर पर सन्दर्भित करना प्रमुख अपेक्षित कार्य है।

xii. **<u>वृद्धावस्था एवं पैलेटिव केयर से सम्बन्धित सेवाएं</u>**- इसके अन्तर्गत उच्च जोखिम समूह की पहचान कर, परिवारों को पैलेटिव केयर सम्बन्धी सेवाओं की जानकारी प्रदान किया जाना है। वृद्ध एवं वृद्ध विकलांग हेतु चलने फिरने में मदद करने वाले यन्त्र एवं उपकरणों की उपलब्धता, घरों पर भ्रमण कर उनकी सहायता करना, पेशेन्ट सपोर्ट ग्रुप की स्थापना करना तथा लोगों को इससे जोड़ना। जनसमुदाय में वृद्धों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता एवं वृद्धों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, वृद्ध पर होने वाले किसी भी प्रकार की हिंसा/अत्याचार की पहचान कर परिवार के सदस्यों की काउन्सलिंग करना एवं असाध्य रोगों से ग्रसित लोगों में दर्द निवारण एवं पैलेटिव केयर की सुविधाएं प्रदान करना, वृद्ध अवस्था से सम्बन्धित समस्याओं का निवारण एवं काउन्सलिंग, वृद्ध व्यक्तियों सम्बन्धी बीमारियों हेतु समुचित सन्दर्भन एवं फॉलोअप की व्यवस्था करना प्रमुख अपेक्षित कार्य है।

4. **<u>वेलनेस गतिविधियॉ-</u>**

वेलनेस एक्टीविटी हेतु रु0 1,00,000/- (रू0 एक लाख मात्र) प्रति अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर प्रति वर्ष की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है। आवंटित/अवमुक्त धनराशि का व्यय पत्र संख्या- SPMU/NUHM/15thFC/2022-23/82/7842-29 दिनांक 20.01.2023 (संलग्नक-6) के माध्यम प्रेषित निर्देश के अनुसार किया जाना है, जो निम्नानुसार है-

- योग प्रशिक्षक को प्रतिदिवस रु0 600/– की दर से प्रति सप्ताह एक दिवस के अनुसार धनराशि का भुगतान किया जाना है।
- रु0 5000/– की धनराशि का प्रतिमाह व्यय विशेष गतिविधि के अन्तर्गत कार्यक्षेत्र के इण्टर कालेज/माध्यमिक विद्यालय (सरकारी अथवा सरकारी सहायता प्राप्त) में क्रमशः किशोर स्वास्थ्य मंच के आयोजन (प्रतिमाह 01) में किया जाना है–

क्र0	विवरण	दर (रू0)
1	कार्यक्रम आयोजन/जलपान की व्यवस्था के लिए	2500.00
2	किशोर स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरुकता के लिए पैम्पलेट प्रिन्टिंग हेतु	700.00
3	प्रतियोगिताओं के विजेताओ के पुरस्कार हेतु	1000.00
4	विभिन्न उपयोग जैसे– क्विज हेतु चार्ट, पेन्सिल, मोम कलर, फोटो कॉपी आदि	800.00

किशोर स्वास्थ्य मंच के अन्तर्गत की जाने वाली गतिविधियां निम्नवत–

- उपस्थित सभी छात्रों में **बी0एम0आई0** एवं **हीमोग्लोबिन जांच**, एनीमिया व अन्य सन्दर्भन योग्य बीमारियों की पहचान एवं संदर्भन करना।
- आई0सी0डी0एस0 अनुभाग के सहयोग से विविध पोषण स्रोत वाले खाद्य पदार्थों का स्टॉल लगवाना।
- उपस्थित छात्रों को एनीमिया, आयरन, और आई0एफ0ए0 की गोलियों की साप्ताहिक सेवन की जानकारी देना और उन्हें पोषण की महत्ता समझाना।
- प्रतिभागियों को किशोरी सुरक्षा योजना विशेषकर मेन्स्ट्रुवल हाईजीन, लिंग हिंसा, तम्बाकू एवं अन्य मादक पदार्थों के सेवन व उनके दुष्परिणामों से अवगत कराया जाये।
- छात्र–छात्राओं के साथ एनीमिया; यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित क्विज, पेंटिंग प्रतियोगिता, वाद–विवाद एवं तत्क्षण भाषण जैसी अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित करना।
- सम्मानित अभिभावकों के विचारों को आमंत्रित किया जायें।
- प्रतियोगिताओं में विजेता प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के छात्रों को पुरस्कृत करना।

उक्त गतिविधि के आयोजन में जनपदीय नोडल अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, अरबन हेल्थ कोआर्डिनेटर, प्रभारी चिकित्साधिकारी–सम्बन्धित यू–एच.डब्लू.सी, सी0डी0पी0ओ0, आर0के0एस0के0 कन्सल्टेंट, डी0ई0आई0सी0 मैनेजर, एवं एन0एच0एम0 के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्यरत काउन्सलर यथा किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर, फैमिली प्लानिंग काउन्सलर, मानसिक स्वास्थ्य काउन्सलर आदि, का उत्तरदायित्व/सहयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

5. **टेलीमेडिसीन सेवायें-**

प्रत्येक अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर टेली कन्सल्टेशन से सम्बंधित उपकरणों के क्रय हेतु रू0 1.00 लाख की दर से धनराशि स्वीकृत है। उपकरणों का क्रय इस कार्यालय के पत्र संख्या SPMU/NUHM/15thFC/2022-23/82/6116-29 दिनांक 23.11.2022 के माध्यम से प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार किया जायेगा (संलग्नक–7)।

इसके अन्तर्गत समस्त हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर को आयुष्मान भारत, ई–संजीवनी एप्लीकेशन के माध्यम से जनपद स्तरीय हब से जोड़ा जायेगा। शहरी हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के लाभार्थियो को आवश्यकतानुसार सामान्य एवं विशेषज्ञ चिकित्सीय सलाह प्रदान की जायेगी एवं चिकित्साधिकारी की अनुपस्थिति में भी स्टाफ नर्स के द्वारा ओ0पी0डी0 सेवायें प्रदान की जायेगी।

Tele consultation हेतु Internet connectivity के लिये रू0 5000/ प्रति अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर प्रति वर्ष की दर से स्वीकृत है।

6. **अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु मूलभूत उपकरण एवं फर्नीचर–**

प्रत्येक अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के उपकरण एवं फर्नीचर हेतु रु0 02.00 लाख प्रति ईकाई की दर से स्वीकृत है। उपकरणों एवं फर्नीचर की सूची पत्र संख्या **SPMU/NUHM/15thFC/2022-23/82/4574 दिनांक 26.09.2022** (संलग्नक–1) **के साथ संलग्न है**। संलग्न सूची के अनुसार उपकरणों एवं फर्नीचर की

उपलब्धता प्रत्येक अरबन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर सुनिश्चित की जानी है एवं प्रत्येक इकाई पर इससे सम्बन्धित रिकार्ड बनाते हुये अपडेट किया जायेगा। सभी उपकरण एवं फर्नीचर का क्रय जेम पोर्टल से जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा जनपद स्तर से वित्तीय एवं प्रशासनिक नियमों का पालन करते हुये किया जाना है। यदि इस सूची के अतिरिक्त कुछ भी क्रय किया जाना है तो जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन के उपरान्त ही किया जायेगा।

7. **Arrangement of Premises-**

इस मद में उपलब्ध धनराशि का उपयोग अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर भवन एवं परिसर के अन्दर इकाई की गुणवत्ता बढाने हेतु जिला स्तर से सभी वित्तीय एव क्रय नियमों का पालन करते हुये जेम पोर्टल से निर्धारित स्पेसिफिकेसन्स के सूची संलग्न अनुसार किया जायेगा। उक्त कार्य पत्र संख्या **SPMU/NUHM/15thFC/2022-23/82/6281 दिनांक 29.11.2022** के माध्यम से प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार किया जाये (संलग्नक–8)। यदि इस सूची के अतिरिक्त कुछ भी क्रय किया जाना है तो जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन के उपरान्त ही किया जायेगा।

8. **अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु औषधि वितरण –**

औषधियों एवं कन्ज्यूमेबिल्स का क्रय हेतु रू0 12.00 लाख प्रति U-HWC का प्राविधान है। अनुमोदित धनराशि में से 80 प्रतिशत धनराशि से औषधियों का क्रय राज्य स्तर से उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन द्वारा नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु निर्धारित ड्रग लिस्ट के अनुसार किया जायेगा। शेष 20 प्रतिशत धनराशि रू0 2.40 लाख प्रति U-HWC जनपदों को Consumables हेतु आवंटन किया गया है। Consumables की सूची पत्र संख्या **SPMU/NUHM/15thFC/2022-23/82/7842 दिनांकः 20.01.2023** (संलग्नक–6) के साथ संलग्न है। Consumables का क्रय समस्त वित्तीय क्रय नियमों को ध्यान में रखते हुये जनपद स्तर से किया जायेगा।

समस्त औषधियों की आवश्यकतानुसार आपूर्ति उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन द्वारा विकसित डी0वी0डी0एम0एस0 साफ्टवेयर के माध्यम से पासबुक मॉडल के द्वारा की जायेगी। इन केन्द्रों हेतु नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की ई0डी0एल0 मान्य होगी।

9. **डायगोस्टिक सेवायें –**

अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर में 14 प्रकार की जाँच सुविधा प्रदान की जायेगी। अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर तैनात स्टाफ नर्स द्वारा औषधि वितरण एवं डायग्नोस्टिक टेस्ट किये जायेगें। इस हेतु स्टाफ नर्सों को विशेष रुप से प्रशिक्षित किया जायेगा। अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर स्तर पर चिन्हित 14 प्रकार की निदान सेवाओं में से 13 प्रकार की जाँचे तुरन्त केन्द्र स्थल पर उपलब्ध करायी जायेंगी। सर्वाइकल कैंन्सर से सम्बन्धित वी0आई0ए0 टेस्ट के प्रशिक्षण के बाद इन केन्द्रों पर प्रदान की जायेंगी।

नान रिकरिंग कास्ट–

यू0–एच0डब्लू0सी0 पर निदान सेवाओं हेतु एकमुश्त धनराशि रू0 23,000/– प्रति U-HWC की दर से स्वीकृत की गयी है। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या – **SPMU/NUHM/15thFC/2022-23/82/5416 दिनांकः 31.10.2023** (संलग्नक–9) के माध्यम से दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

S.No	Equipment	Unit
1	Digital HB Meter	02
2	Glucometer	02
3	VIA Capex (Sims Speculum, bowl for cotton swabs, ring forceps, acetic acid, glass measuring beaker 100 ml)	1

रिकरिंग कास्ट–

इन केन्द्रो पर 14 जांचे उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक कन्ज्यूमेबल्स जैसे कि RDK, strips, lancets, slide, test tube, gloves, tips (large, small) for micropipette, blood sample collection tubes, spirit,

cotton, distilled water, syringes, tourniquet, forceps, इत्यादि। इसके साथ ही सैम्पल ट्रांसपोर्टेशन हेतु आवश्यक सामग्री को भी उपलब्ध कराया जाना है।

नोट– सामग्री का क्रय मांग एवं आवश्यकता के अनुसार ही किया जाय। यदि किसी सामग्री के क्रय हेतु किसी अन्य मद में धनराशि उपलब्ध है तो इस धनराशि का उपयोग न किया जाय। धनराशि के व्यय में किसी प्रकार की Duplicacy न हो।

सैम्पुल कलेक्शन एवं ट्रान्पोंटेशन व्यवस्था–

अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर 14 जांचों के अतिरिक्त अन्य किसी जाँच हेतु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा ओ0पी0डी0 अथवा ई–संजीवनी के माध्यम से सलाह दी जाती है, तो इन जाँचों को कराये जाने हेतु सैम्पल कलेक्शन की सुविधा अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर की जानी है। इस हेतु जनपद स्तर पर वित्तीय मानकों को ध्यान में रखते हुए एक लॉजिस्टिक एजेन्सी का चयन किया जायेगा।

उक्त एजेन्सी द्वारा टेम्प्रेचर कन्ट्रोल्ड ट्रान्पोंटेशन बैग के माध्यम से सैम्पल निर्धारित उच्च इकाईयों पर उपलब्ध कराये जायेंगे। एजेन्सी द्वारा सैम्पल ट्रान्पोंटेशन हेतु प्रत्येक 10 अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर 01 रनर नियुक्त किया जायेगा। जोकि सैम्पल की संख्या के आधार पर निर्धारित रोस्टर के अनुसार उपकेन्द्रों से नियमित रूप से सैम्पल प्राप्त करेगा। इस हेतु मॉडल आर0एफ0पी0 एवं दिशा–निर्देश राज्य स्तर द्वारा पृथक से उपलब्ध कराया जायेगा।

अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर डायग्नोस्टिक सेवाओं के सम्बंध में प्रेषित पत्र संख्या SPMU/NUHM/15thFC/2022-23/82/6072 दिनांक 21.11.2022 (संलग्नक–10) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10. अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर संविदा मानव संसाधन हेतु दिशा निर्देश–

i. प्रत्येक सेन्टर पर निम्न **संविदा मानव संसाधन** के पद स्वीकृत किये गये है–

S.No	Particulars	Units
1	Medical Officer MBBS	01
2	Staff Nurse	01
3	ANM	01
4	Support Staff/Guard (Outsourced)	01
5	Cleaning staff (Outsourced)	01

- 15वें वित आयोग के अन्तर्गत शहरी स्वास्थ्य हेतु स्वीकृत पद पर चयनित मानव संसाधन को किसी अन्य चिकित्सा ईकाई पर तैनात/स्थानान्तरित न किया जाय। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कार्य न लिया जाये।
- 15वें वित्त आयोग में स्वीकृत मानव संसाधन के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी का चयन नियमानुसार वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रेषित निर्देशों एवं निम्न टी0ओ0आर0 के अनुसार जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा किया जायेगा।

पूर्णकालिक एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक–

Clinical Services:

- Clinical services: Ensure all 12 services of packages: OPD, Medical care, referral services, Telemedicine services, MCH, Immunization, Family Planning services, Screening of high risk PW and referral, NCD screening
- Normal Delivery in case of emergency
- Post natal care and New born care
- Nutritional care to PW and Children
- National Disease Control Programme (Communicable and non communicable diseases)

Administrative work:

- Overall in charge of U-HWC and the activities to be implemented under NUHM in respective area
- Responsible for Maintenance of U-HWC with respect to general management
- All Physical & Financial Responsibilities would be done at U-HWCs & would be Verified all Records/Account Book Keeping.

- Monthly meeting of all officials including ASHA.
- Monthly meeting at facility leval.
- Monthly Reporting to MOIC-UPHC
- U-HWC Level Data Validation Meeting, Monthly ANM/ASHA Meeting & Record Keeping.
- Extend support to DPMU/NUHM teams for implementation of all type Guidelines/Activities.
- Supervise the work of all officials placed at U-HWC
- Coordinate to All type of Audit at U-HWC Level & Compliances Verification under Direction of MOIC-UPHC, ACMO/Nodal Officer, NUHM/CMO.
- Conduct verification/ audit of the stock.
- Hold monthly meetings with the staff to evaluate the progress of work and suggest steps to take further improvements.
- Prepare operational plans and ensure effective implementation of the same to achieve the laid down targets.

Public health work:

- Work towards spreading awareness regarding 12 extended packages of services.
- Make arrangements and provide guidance for rendering health care services at community level and at the U- HWC through health workers.
- Convergence of all vertical National health programs at the U-HWC. Coordinate & Support to DPMU, NUHM and management team for implementation of all type Guidelines/Activities at U-HWC.
- Ensure attending periodic meetings of MAS & JAS, utilization of the funds and submission of quarterly progress reports.
- Nodal in charge for selection of ASHAs and all the activities w.r.t their payments of incentives and grievances.
- Field visit in case of any emergency, epidemics etc.
- Conduct special outreach camp
- Supervision of UHNDs

Eligibility:

- M.B.B.S degree
- Certified degree from recognized Institution by MCI
- Registration from Council of the State/GoI.

• स्टॉफ नर्स एवं ए0एन0एम0 का चयन राज्य स्तर से किया जायेगा।

• प्रत्येक यू–एच.डब्लू.सी. में स्वीकृत Support Staff / Guard एवं Cleaning staff का चयन जनपद स्तर से आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से किया जाना है।

ii. Performance Based Incentive–

यह धनराशि केवल अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर संविदा एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक हेतु राज्य स्तर से प्रेषित दिशा–निर्देश पत्र संख्या SPMU/NUHM /15th FC/2022-23/82/ 1798 दिनांकः 26.05.2023 के अनुसार देय होगी (संलग्नक–11)।

iii. Team Based Incentive–

यू0–एच0डब्लू0सी0 के अन्तर्गत कार्यरत स्टाफ को टी0बी0आई0 की धनराशि राज्य स्तर से निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार निम्नवत् देय होगी।

क्र. सं.	पदनाम	प्रति यू.–एच. डब्लू.सी.	अधिकतम प्रोत्साहन राशि प्रति स्टॉफ प्रतिमाह रू0	कुल धनराशि प्रतिमाह रू0	कुल धनराशि प्रतिवर्ष रू0
1	चिकित्साधिकारी	01	3000	3000	36000
2	स्टॉफ नर्स	01	1500	1500	18000
3	ए.एन.एम.	01	1000	1000	12000
4	गार्ड / सर्पोट स्टाफ एवं क्लीनिंग स्टाफ	02	500	1000	12000

इस धनराशि के उपयोग हेतु पत्र संख्या SPMU/NUHM/Guidelines/2021-22/47/6464 दिनांक 10.01.2022 के माध्यम से प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार किया जाय (संलग्नक–12)।

नोट–

1. *यदि चिकित्साधिकारी को पी0बी0आई0 की धनराशि प्रदान की जा रही है तो टी0बी0आई0 की धनराशि किसी भी दशा में देय नहीं होगी।*
2. *15वें वित आयोग के अन्तर्गत संविदा मानव संसाधन के सम्बंध में एस0पी0एम0यू0 के पत्र संख्या SPMU/NUHM/Budget/2023-24/61/4618-2 दिनांक 11.09.2023 के माध्यम 659 अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु धनराशि आवंटित करते हुए दिशा–निर्देशों प्रेषित किये गये है **(संलग्नक–13)** तथा शेष 345 अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के मानव संसाधन हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है।*

11. **Capacity building of Human Resource** से सम्बन्धित दिशा –निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेगें।

12. **Quality Assurance activities for Infection Prevention control-**
अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर कायाकल्प गतिविधियां हेतु राज्य स्तर से पूर्व में प्रेषित सम्बन्धित दिशा–निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी।

13. **Operational Expense-**
प्रत्येक अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु Operational Expense में रू0 10,000/– प्रति माह की दर से स्वीकृत प्रदान की गयी, जिसका व्यय निम्नानुसार किया जाना है–

- रू0 7000/– की धनराशि का व्यय विद्युत एवं पानी के बिल हेतु अधिकतम प्रतिमाह (वास्तविक धनराशि के अनुसार),
- रू0 1000/– की धनराशि स्टेशनरी एवं फोटाकॉपी व्यय हेतु प्रतिमाह,
- रू0 1000/– क्लीनिंग कन्ज्युमेबिल्स हेतु प्रतिमाह,
- रू0 1000/– विविध व्यय हेतु,

14. **जन आरोग्य समिति (JAS)–**
जन आरोग्य समिति हेतु अन्टाइड फण्ड के रूप में रू0 1,00,000/– (रू0 एक लाख मात्र) की धनराशि प्रति अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर प्रति वर्ष की दर से स्वीकृत की गयी है। जन आरोग्य समिति के गठन के सम्बंध में इस कार्यालय के पत्र संख्या–SPMU/NUHM/ JAS/2023-24/55/3990 Dated-11.08.2023 के माध्यम से दिशा निर्देश प्रेषित किये गये है।

15. **IEC & Branding-**
प्रत्येक अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु IEC & Branding मद में रू0 75,000/– की धनराशि स्वीकृत है। इस धनराशि का उपयोग अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की IEC & Branding पत्र संख्या SPMU/NUHM/15thFC/2022-23/82/6870 दिनांक 20.12.2022 के माध्यम से प्रेषित दिशा निर्देश (संलग्नक–14) के अनुसार किया जायेगा।

16. **अरबन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु अभिलेखीकरण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण**

i. प्रत्येक अरबन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के स्तर पर रिकार्ड पूर्ण किये जाने हेतु सम्बन्धित रजिस्टर को उपलब्ध कराते हुये अपडेट कराया जाना है। इस हेतु समस्त स्टाफ का अभिमुखीकरण/प्रशिक्षण जनपद स्तर से कराया जाये।
ii. प्रत्येक अरबन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के द्वारा हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के पोर्टल का उपयोग किया जाये।
iii. एन0सी0डी0 एप्लीकेशन का उपयोग करते हुये सम्बन्धित मरीजों का इलाज किया जाये।

अरबन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के स्तर पर उपयोग में लाये जाने वाले मुख्य रजिस्टर–

- Central Registration Register
- OPD Slip
- OPD Register, Screening Register
- NCD, Diarrhoea, Pneumonia, Referral register, etc..
- ANC Register including HRP, Referral
- Dead Stock Register
- Medicine Stock Register
- Daily Medicine & consumables dispense register
- Expiry Register (Drugs & consumables)
- JAS Register

- Monthly Meeting Register
- Daily Attendance & Movement Register
- Any other register

उपरोक्त रजिस्टर हेतु व्यय अरबन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के Operational Expenses of Urban HWC से किया जायेगा।

17. **अरबन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के स्तर से अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग–**

i. HMIS, UPHMIS, U-HWC – स्टाफ नर्स द्वारा मासिक आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाये और प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा रिपोर्ट का सत्यापन उपरान्त सम्बन्धित पोर्टल पर अंकित की जाये।

ii. प्रत्येक मासिक रिपोर्ट का प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा परीक्षण उपरान्त, सम्बन्धित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द एवं अरबन हेल्थ कोआर्डिनेटर/नोडल अधिकारी (एन.यू.एच.एम.) को प्रेषित की जाये।

iii. प्रत्येक अरबन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के स्तर पर उपयोग में लाये जाने वाले समस्त अभिलेखों का सत्यापन प्रभारी चिकित्साधिकारी के द्वारा किया जाये।

iv. अरबन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर बनी डाटा वैलिडेशन कमेटी के द्वारा समस्त रिपोर्ट का सत्यापन किया जाना है। सत्यापन उपरान्त रिपोर्ट विभिन्न पोर्टल/जनपद स्तर को प्रेषित की जानी है। साथ ही साथ यह सुनिश्चित किया जाय कि डाटा वैलिडेशन कमेटी के बैठक का आयोजन प्रत्येक मांह अनिवार्य रूप से किया जाय एवं उसकी कार्यवृत्ति भी लिखी जाये।

v. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के पोर्टल पर दैनिक एवं मासिक आधार पर रिपोर्ट दर्ज की जाये।

vi. अरबन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर आयोजित होने वाली प्रत्येक बैठक का रिकार्ड तैयार किया जाय, जिसमें बैठक का एजेण्डा, बैठक के कार्यवृत्त एवं समस्त प्रतिभागियों के हस्ताक्षर (नाम एवं पद सहित) अवश्य अंकित किया जाये।

18. **प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन–**

- प्रभारी चिकित्साधिकारी के द्वारा अरबन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के अन्तर्गत आयोजित होने वाले यू0एच0एन0डी0 दिवस पर कम से कम 02 यू0एच0एन0डी0 सत्र का भ्रमण किया जायेगा तथा निर्धारित चेकलिस्ट पर रिपोर्ट जनपद स्तर पर प्रेषित की जायेगी।
- प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस में अपने अरबन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के सभी कक्षों का भ्रमण एवं कर्मियों द्वारा किये जा रहे कार्यो का अनुश्रवण किया जायेगा तथा पायी गयी कमियों का अपने एवं उच्च स्तर से निराकरण कराया जायेगा।
- प्रभारी चिकित्साधिकारी अपने क्षेत्र के समस्त गतिविधियों की प्लानिंग, रिर्पोटिंग एवं मांनिटरिंग हेतु जिम्मेदार होगें एवं समस्त रिपोर्टिंग जनपद द्वारा चिन्हित पास की इकाई के अधीन कार्य करेगें।

उक्त दिशा–निर्देशों का पालन करते हुये अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरों (यू0–एच0डब्लू0सी0) को स्थापित करते हुये क्रियाशील कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोक्त।

****

U-HWC list under 15th FC

S.No	District	Name of Cities	U-HWC Allocated under 15th FC
A	B	C	D
1	Agra	Agra (M Corp.)	60
2	Aligarh	Aligarh (M Corp.)	36
3	Ambedkar Nagar	Akbarpur (NPP)	1
4		Jalalpur (NPP)	1
5	Amethi	Jais	1
6		Gauriganj	1
7	Amroha (JP Nagar)	Amroha (NPP)	2
8	Auraiya	Auraiya (NPP)	4
9	Ayodhya	Ayodhya (M Crop.)	11
10	Azamgarh	Azamgarh (NPP)	2
11	Baghpat	Baraut (NPP)	2
12	Bahraich	Bahraich (NPP)	5
13	Ballia	Ballia (NPP)	1
14		Rasra (NPP)	1
15	Balrampur	Balrampur (NPP + OG)	3
16		Utraula (NPP)	1
17	Banda	Banda (NPP + OG)	2
18	Barabanki	Nawabganj (NPP + OG)	2
19	Bareilly	Bareilly (M Corp. + OG)	36
20	Basti	Basti (NPP)	4
21	Bijnor	Bijnor (NPP)	4
22	Budaun	Budaun (NPP)	4
23	Bulandshahar	Bulandshahr (NPP + OG)	4
24	Chandauli	Mughalsarai (NPP)	4
25	Chitrakoot	Chitrakoot Dham (Karwi) (NPP)	4
26	Deoria	Deoria (NPP)	7
27	Etah	Etah (NPP)	4
28	Etawah	Etawah (NPP)	12
29	Farrukhabad	Farrukhabad-cum-Fatehgarh (NPP)	12
30	Fatehpur	Fatehpur (NPP)	6
31	Firozabad	Firozabad (M Crop.)	12
32	GB Nagar	Noida (CT)	24
33	Ghaziabad	Ghaziabad (M Corp.)	66
34		Loni (NPP)	12
35		Khora (CT)	4
36		Modinagar (NPP)	1
37		Muradnagar (NPP)	1
38	Ghazipur	Ghazipur (NPP + OG)	4
39	Gonda	Gonda (NPP)	2
40	Gorakhpur	Gorakhpur (M Corp.)	48
41	Hamirpur	Rath (NPP)	3
42	Hapur	Hapur (NPP)	2
43	Hardoi	Hardoi (NPP + OG)	4
44	Hathras	Hathras (NPP + OG)	4
45	Jalaun	Orai (NPP + OG)	4
46	Jaunpur	Jaunpur (NPP)	5

U-HWC list under 15th FC

S.No	District	Name of Cities	U-HWC Allocated under 15th FC
A	B	C	D
47	Jhansi	Jhansi (M Corp.)	24
48	Kannauj	Kannauj (NPP)	2
49	Kanpur Dehat	Pukhrayan (NPP)	2
50	Kanpur Nagar	Kanpur (M Corp. + OG)	96
51	Kasganj	Kasganj (NPP)	3
52	Kaushambi	Ajhuwa (NP)	1
53		Karari (NP)	1
54		Sirathu (NP)	1
55	Kushinagar	Padrauna (NPP)	1
56		Kaptanganj (NP)	1
57		Sewarhi (NP)	1
58		Kushinagar (NP)	1
59		Tamkuhiraj	1
60		Dudahi	1
61		Sukrauli	1
62		Ramkola (NP)	1
63	Lakhimpur Kheri	Lakhimpur (NPP)	4
64	Lalitpur	Lalitpur (NPP)	1
65	Lucknow	Lucknow (M Corp.)	108
66	Maharajganj	Maharajganj (NPP)	1
67		Nautanwa (NPP)	1
68		Siswa Bazar (NP)	1
69	Mahoba	Mahoba (NPP)	3
70	Mainpuri	Mainpuri (NPP + OG)	3
71	Mathura	Mathura (M Crop.)	12
72	Mau	Maunath Bhanjan (NPP)	2
73	Meerut	Meerut (M Corp.)	48
74	Mirzapur	Mirzapur-cum-Vindhyachal (NPP)	12
75	Moradabad	Moradabad (M Corp.)	48
76	Muzaffarnagar	Muzaffarnagar (NPP)	3
77	Pilibhit	Pilibhit (NPP)	3
78	Pratapgarh	Bela Pratapgarh (NPP)	3
79	Prayagraj	Prayagraj (M Corp. + OG)	48
80	Rae Bareli	Rae Bareli (NPP)	2
81	Rampur	Rampur (NPP)	12
82	Saharanpur	Saharanpur (M Corp.)	35
83	Sambhal	Sambhal (NPP)	4
84	Sant Kabir Nagar	Khalilabad (NPP)	2
85	Sant Ravidas Nagar	Bhadohi (NPP)	3
86	Shahjahanpur	Shahjahanpur (M Crop.)	12
87	Shamli	Shamli (NPP)	2
88	Shrawasti	Bhinga (NP)	1

U-HWC list under 15th FC

S.No	District	Name of Cities	U-HWC Allocated under 15th FC
A	B	C	D
89	Sidharthnagar	Bansi (NPP)	1
90		Domariyaganj (NP)	1
91		Kapilvastu	1
92		Siddharthnagar (NPP)	1
93		Bharat Bhari	1
94		Uska Bazar (NP)	1
95		Biskohar	1
96		Barhani Bazar (NP)	1
97	Sitapur	Sitapur (NPP)	2
98	Sonabhadra	Obra (NP)	1
99		Sonbhadra (NPP)	1
100		Renukoot (NP + OG)	1
101		Pipri (NP)	1
102		Chopan (NP)	1
103		Dudhi (NP)	1
104	Sultanpur	Sultanpur (NPP)	2
105	Unnao	Unnao (NPP)	2
106	Varanasi	Varanasi (M Corp.)	48
Total	**75**	**106**	**1,013**